प्रेषक,

दूधनाथ सिंह,
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
प्रतापगढ़।

सेवा में,

निबंधक,
मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0
सी–1,विकान्त खण्ड–1 (शहीद पथ के बगल)
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक सं0– 56 / जि0उप0वि0प्रति0आ0 / प्रतापगढ़ दिनांक– 31-3-2022

विषय– **जिला आयोग, प्रतापगढ़ हेतु मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कृपया अपने पत्रांक 3426 / एस.सी.डी.आर.सी. / अधि.101 / 16 दिनांक 02 दिसम्बर 2021 व पत्रांक 5070 / एस.सी.डी.आर.सी. / अधि.101 / 16 दिनांक 28 फरवरी 2022 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या– सी.पी. 480 / 2021 / 84–2–2021–सी.एन. 1369528 दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्ता) विनियमन 2020 में दिये गये प्राविधानानुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़ हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस संबंध में प्राविधान है कि प्रश्नगत प्रकरण में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जावें।

इस संबंध में इस जिला–प्रतापगढ़ के अपर जिला सूचना अधिकारी से एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में इस सूचना को प्रकाशित कराने में होने वाले अनुमानित व्यय की जानकारी की गई तो अवगत कराया गया कि इसमें लगभग रू0 50,000 / – से अधिक का व्यय हो सकता है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में आपसे अनुरोध है कि यदि इस संबंध में आवश्यक सूचना को माननीय राज्य आयोग, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाए और अत्यंत सूक्ष्म में उपरोक्त दोनों समाचार पत्रों में मात्र इतना प्रकाशित करा दिया जाए कि–

<u>आवश्यक सूचना</u>

"जिला उपभोक्ता आयोग, प्रतापगढ़ में मध्यस्थ नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की बेवसाइट www.scdrcup.nic.in से समस्त जानकारी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है।"

ऐसा करने पर विज्ञापन सूक्ष्म हो जाने से उस पर आने वाला व्यय न्यून जो जायेगा। उक्त कम में शर्तें एवं आवेदन का प्रारूप तथा अंतिम तिथि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(दूधनाथ सिंह)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
प्रतापगढ़।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़।

सूचना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़ से सम्बद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थें का एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभागर–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या सी0पी0480/2021/84–2–2021–सी.एन./1369528 दिनांक 15–11–2021 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते हैं:–

1. मा0 जिला न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश है।
2. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य है।
3. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी है जिनके पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है।
4. बार में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के साथ वकील है।
5. भारत के उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ के साथ पैनलबद्ध मध्यथ है।
6. मध्यस्थता या सुलह में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति है।
7. कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ विशेषज्ञ या अन्य पेशेवर या सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाह या सेवानिवृत्त अधिकारी है।

मध्यस्थतों के नियम और शर्तें, मध्यस्थतों को देय शुल्क सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण(मध्यस्थता) विनियम 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगी।

पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र इस तरह से भेजेगें कि उनके सभी तरह से पूर्ण आवेदन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़ तक अधिकतम दिनांक 30–04–2022 अपराह्न 05:00 बजे तक पहुंचे। इसके बाद किसी भी कारण से प्राप्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

चयन समिति उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सत्यनिष्ठा के साथ–साथ प्रासंगिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की जांच और शार्ट लिस्टिंग और अपनी सिफारिशें करने के लिए अपनी प्रकिया निर्धारित करने के लिए किसी भी मानदण्ड को अपना सकती है।

इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन अनुलग्नक–1 में दिये गये प्रारूप में जमा कर सकते है।

आदेश द्वारा प्रकाशित

(दूधनाथ सिंह)
अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
प्रतापगढ़।

अनुलग्नक–1

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रतापगढ़ से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ के लिए मध्यस्थ के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज फोटो
राजपत्रित अधिकारी से
प्रमाणित चिपकाये।

1– नाम (हिन्दी में)..

2– नाम (अंग्रेजी में)..

3– जन्मतिथि..

4– पिता का नाम...

5– पता..

....

6– मोबाइल नंबर...

7– अनुभव (कम से कम 10 वर्ष)..

8– अन्य कोई योग्यता...

आवेदक के हस्ताक्षर व नाम

दिनांक–

स्थानः